



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222103  
CG-DL-E-29092020-222103

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 272]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(जांच शुरूआत अधिसूचना)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

मामला संख्या: ए डी (ओआई)-38/2020

विषय: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैलसाइन्ड जिप्सम पाउडर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/45/2020- डीजीटीआर.—1. मैसर्स सेंट-गोबेन प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद से "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद से "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद से "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से "कैलसाइन्ड जिप्सम पाउडर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने इन देशों से कैलसाइन्ड जिप्सम पाउडर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “कैल्साइन्ड जिप्सम पाउडर अथवा जिप्सम प्लास्टर” है (जिसे इसके बाद से “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” भी कहा गया है। संबद्ध वस्तुओं को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर और प्लास्टर पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्सियम सल्फेट डाईहाइड्रेट ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म करने पर यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी ( $\text{H}_2\text{O}$ ) खो देता है जिससे कि यह प्लास्टर अथवा जिप्सम प्लास्टर बन सके, जिसे रासायनिक रूप से कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तुएं प्रमुखतः भवन अनुप्रयोगों, डेकारेशन के कार्यों जैसे कॉर्निस और पीओपी शीट आदि में प्लास्टर को समतल बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।

4. संबद्ध उत्पादों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 “खनिज उत्पादों : नमक, सल्फर, मिट्टी और पत्थर; प्लास्टरिंग मैटिरियल, चूना और सीमेंट” के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसका 8 अंकों के स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। तथापि, वस्तुएं 25 के अन्य शीर्षों के तहत भी आ रही हैं। यह भी नोट किया जाता है कि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं तथा उत्पाद का विवरण विवाद की परिस्थितियों में रहता है।

**ख. समान वस्तु**

5. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद गुणों की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों को ही एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

**ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

6. यह आवेदन मैसर्स सेंट- गोबेन प्राइवेट लिमिटेड (एस जी आई पी एल) द्वारा दायर किया गया है, जो कि भारत में कैल्साइन्ड जिप्सम पाउडर अथवा जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (53%) है। मैसर्स सेंट- गोबेन प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक खंडित उद्योग से हैं, जिनमें देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक होते हैं। तथापि, तीन कंपनियों, जिनका 14% हिस्सा है, ने भी सेंट- गोबेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए आवेदन का समर्थन किया है। प्राधिकारी को आल राजस्थान जिप्सम प्लास्टर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से आवेदन का समर्थन करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उद्योग की प्रकृति और इसके आकार के कारण प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पादक से उत्पादन से संबंधित डाटा एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी कहा जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकार्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकार अथवा बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की जाती है, तथापि उनकी सूचना के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता अथवा उसके किसी अन्य संगत पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। अतः प्राधिकारी ने आवेदक को उक्त नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग के रूप में माना है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

**घ. कथित पाटन का आधार****(क.) सामान्य मूल्य**

7. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई विश्वव्यापी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के आयातों अथवा अन्य देशों को निर्यातों के बारे में सूचना जांच की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी। अतः आवेदक ने मूलता के देश में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की

लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की सूचना प्रस्तुत की थी जिसमें प्रशासनिक व्यय, बिक्री और सामान्य लागत और लाभों को उपयुक्त रूप से शामिल किया था। आवेदक ने पब्लिक माइनिंग अथॉरिटी, ओमान सलतनत द्वारा प्रकाशित दिनांक 19.12.2016 के प्रशासनिक निर्णय सं. 264/2016 के आधार पर ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत पर विचार किया है। चूंकि ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) का हिस्सा है, इसलिए ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत को अन्य देशों के लिए भी कच्चे जिप्सम की कच्ची सामग्री कीमत के रूप में विचार किया गया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि ईरान के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उनकी सूचना सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और उन पर प्रतिबंधों के कारण समस्या और भी गहरी होती जा रही है। इन कारकों को ध्यान में रखकर और यह देखते हुए कि जिस क्षेत्र में ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं, उसी भौगोलिक क्षेत्र (मध्य पूर्व) में ईरान होने के कारण, ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए ईरान के लिए भी कच्चे जिप्सम की सबसे उपयुक्त और तर्कसंगत बेंचमार्क कीमत होगी। अतः ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत पर भी ईरान के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए विचार किया गया था। संबद्ध देशों में प्रचलित व्याज दर के आधार पर व्याज लागत पर विचार किया गया है। अन्य अन्तरण लागत और प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत आवेदक के अनुभव के आधार पर है। तदनुसार, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए दावा की किए गए सामान्य मूल्य के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

#### (ख.) निर्यात कीमत

8. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदा वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, क्रेडिट लागत और हैंडलिंग चार्ज के लिए कीमत के समायोजन किए गए हैं।

#### (ग.) पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना बाह्य स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है और यह ओमान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमरात से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

#### ड क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत के ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए बिक्री कीमत से कम कीमत पर बिक्री और गैर-क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन आयातों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उनके कार्य निष्पादन पर बाजार अंश, वस्तु सूची, लाभों, लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल और नकदी प्रवाह के संबंध में उनके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य स्पष्ट होता है।

#### च. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

11. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी के निर्धारण, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

**छ. संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच ईरान, ओमान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

**ज. जांच की अवधि**

13. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2016 – मार्च 2017, अप्रैल 2017 – मार्च 2018, अप्रैल 2018 – मार्च 2019 और जांच की अवधि शामिल होंगी।

**झ. प्रक्रिया**

14. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्राचार ईमेल पतों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in) तथा [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

**ट. समय-सीमा**

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों अर्थात् [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in) तथा [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर " गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और /अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना देने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
29. प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

30. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

**ढ. असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी.स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2020

**Case No. AD (OI)- 38/2020**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Calcined Gypsum Powder originating in or exported from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE**

**No. 6/45/2020-DGTR.**—M/s. Saint-Gobain India Private Limited (hereinafter also referred to as the ‘Petitioner’ or ‘Applicant’) has filed an application seeking initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Calcined Gypsum Powder from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the Calcined Gypsum Powder from these countries.

**A. Product under consideration**

3. The product under consideration in the present application is “Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”). The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder”. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), which when heated in controlled way it loses 1.5 water ( $\text{H}_2\text{O}$ ) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate. The subject goods are majorly used for levelling Plaster in building applications, Decorative building elements like cornices & POP sheets, etc.
4. The subject products are classified under Chapter Heading 25 “Mineral products: Salt; Sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 25202010. However, goods are coming under other heads of 25 also. It is also noted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.

**B. Like Article**

5. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

**C. Domestic Industry & Standing**

6. The application has been filed by M/s Saint Gobian India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer (53%) of the Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster in India. M/s Saint Gobian India Pvt Ltd. further submitted that in the present case producers of the subject goods are from fragmented industry

consisting of a large number of small producers across the country. However, three companies accounting 14% also supported the application filed by SGIPL. The Authority has also received letter supporting the application from All Rajasthan Gypsum Plaster Industries Association. The Applicant has further stated that, it is not practically possible to collect data relating to production from each individual producer, due to nature and size of industry. It is further submitted that there are no published records of the gross domestic production of the product in India and such information is also not collated by any governmental or market research agency however, as per their information, they account for major producers of the subject goods in India. The petitioner has also certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India. Therefore, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

#### **D. Basis of alleged dumping**

##### **(a). Normal value**

7. The Applicant has submitted that they have not been able to get any reliable information in relation to the prices prevailing in the subject countries. Further, information about imports of the subject goods into subject countries or exports to other countries was also not available in the public domain for the POI. Therefore, applicant had submitted the normal value information, based on the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. The applicant has considered minimum export price of raw Gypsum from Oman on the basis of the Administrative Decision No. 264/2016 dated 19.12.2016 published by Public Mining Authority, Sultanate of Oman. Since Oman is part of the Gulf Cooperation Council (GCC), minimum export price of raw gypsum from Oman is considered as raw material price of raw Gypsum for other subject countries also. It is further submitted that it is practically not feasible to obtain any information for Iran as their information is not in public domain and the problem is getting accentuated due to the sanctions against them. Considering these factors and the fact that Iran being in the same geographical region (Middle East) as that of Oman, Saudi Arabia and UAE, minimum export price of raw gypsum from Oman will be the most appropriate and reasonable benchmark price of raw gypsum for Iran also for the purpose of initiation of the investigations. Therefore, minimum export price of raw gypsum from Oman was also considered for computing normal value for Iran. Interest cost has been considered based on the prevailing interest cost in the subject countries. Other conversion cost and administrative, selling and general costs is based on the experience of the applicant. Accordingly, the constructed normal value for the subject goods in the subject countries has been determined. There is sufficient prima facie evidence for the normal value claimed for the subject goods from subject countries.

##### **(b). Export Price**

8. The Authority has computed the export prices for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and handling charges.

##### **(c). Dumping Margin**

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the PUC from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from the subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE.

#### **E. Injury & Causal Link**

10. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that their performance has been adversely

impacted in respect of market share, inventories and decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of product under consideration at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of anti-dumping investigation.

#### **F. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

11. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **G. Subject countries**

12. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE.

#### **H. Period of Investigation**

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April 2016 to March 2017, April 2017 to March-2018, April 2018 to March 2019, and the period of investigation (POI)

#### **I. Procedure**

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

#### **J. Submission of information**

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in) and [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
16. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
19. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

#### **K. Time Limit**

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in) and [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in) within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**L. Submission of Information on Confidential basis**

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. Inspection of Public File**

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**N. Non-cooperation**

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority